

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— शरद चंद होता पिता गोकुल चंद होता सा० बसिया बगैरह.....।

बनाम

वाद सं० 49/2020

द्वितीय पक्ष— पुष्पा देवी पति स्व० गुलाब पाहन सा० बसिया बगैरह..

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1/9/21	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 28/2021 दिनांक 14/09/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) शरद चंद होता पिता (2)ब्रह्मणटोली थाना बसिया बनाम द्वितीय पक्ष (1) पुष्पा देवी पति स्व० गुलाब पाहन सा० बसिया मुण्डाटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच वृक्षा रोपन को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :-</p> <p>वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच वाद समयवधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने वाद की समयवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> <div data-bbox="574 1591 873 1885" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="1071 1522 1396 1680" style="text-align: right;"><p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।</p></div>	